न्यायालय भू–प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी उदयपुर
पीठासीन अधिकारी :– प्रदीपसिंह सांगावत, आर॰ए॰एस॰

(1) प्रकरण संख्या 84/2023 (उदयपुर डिक्री)

1. नारायणलाल उर्फ विधु पिता लक्ष्मीराम जी सुथार, निवासी कोल्यारी, तहसील झाड़ोल, जिला उदयपुर (राज.)
2. बंशीलाल पिता लक्ष्मीराम जी सुथार, निवासी कोल्यारी, तहसील झाड़ोल, जिला उदयपुर (राज.)

..... अपीलान्टगण

बनाम

श्री पार्श्वनाथ जी श्वेताम्बर स्थान कोल्यारी जरिये वाद मित्र राजेन्द्रसिंह पिता श्री तेजसिंह कोठारी, निवासी उदयपुर मंत्री श्री जैन श्वेताम्बर महासभी, जैन धर्मशाला, हाथीपोल, उदयपुर (राज.)

.....रेस्पोन्डेन्ट

(2) प्रकरण संख्या 85/2023 (उदयपुर डिक्री)

1. नारायणलाल उर्फ विधु पिता लक्ष्मीराम जी सुथार, निवासी कोल्यारी, तहसील झाड़ोल, जिला उदयपुर (राज.)
2. बंशीलाल पिता लक्ष्मीराम जी सुथार, निवासी कोल्यारी, तहसील झाड़ोल, जिला उदयपुर (राज.)

..... अपीलान्टगण

बनाम

श्री पार्श्वनाथ जी श्वेताम्बर स्थान कोल्यारी जरिये वाद मित्र राजेन्द्रसिंह पिता श्री तेजसिंह कोठारी, निवासी उदयपुर मंत्री श्री जैन श्वेताम्बर महासभी, जैन धर्मशाला, हाथीपोल, उदयपुर (राज.)

.....रेस्पोन्डेन्ट

अपीलें अन्तर्गत धारा 223 रा॰का॰अ॰–1955

विरूद्ध निर्णय व डिक्री सहायक कलक्टर

झाड़ोल दिनांक 14.11.2004 प्र.सं. 41/03

———::———

उपस्थित :– 1– श्री कमलेश चौहान अभिभाषक अपीलान्टगण

2– श्री सुखदेव बारबर अभिभाषक रेस्पोन्डेन्ट

———::———

निर्णय **दिनांक 24–07–2024**

प्रकरण के संक्षेप में तथ्य इस प्रकार हैं कि अधिनस्थ न्यायालय में हाल रेस्पोन्डेन्ट ने एक वाद बाबत् धारा 183, 91 राजस्थान

Signature Not Verified
Digitally signed by Pradeep Singh Sangawat
Date: 2024.10.30 12:48:11 IST
Reason: SelfAttested

काश्तकारी अधिनियम का प्रस्तुत कर निवेदन किया कि मौजा कोल्यारी में आराजी नंबर 462 रकबा 0.18 एवं 479 रकबा 0.12 हैक्टर भूमि स्थित है, जो वादी की होकर वादी द्वारा काश्त की जा रही है, किसी अन्य का उक्त आराजियात में कोई हक व अधिकार नहीं है। वादी शाश्वत मूर्ति नाबालिग होकर इसकी सेवा पूजा, व्यवस्था, प्रशासन आदि जैन श्वेताम्बर महासभा, जैन धर्मशाला, उदयपुर द्वारा की जाती है, किन्तु प्रतिवादीगण पिछले 3 वर्षो से काबिज होकर काश्त किये जा रहे हैं तथा मना करने पर नहीं मानते हैं एवं कब्जा नहीं छोड़ रहे हैं। अतः विवादित आराजियात से प्रतिवादीगण का कब्जा हटाया जाकर कब्जा वादी को दिलाया जावे।

प्रतिवादीगण द्वारा खण्डन का जवाबदावा प्रस्तुत किया गया तथा निवेदन किया कि विवादित आराजियात पर वादी का कभी भी कब्जा नहीं रहा। प्रतिवादीगण का कब्जा पिछले 40–45 वर्षो से निरन्तर चला आ रहा है तथा वह बहैसियत खातेदार हो चुके हैं। अतः वादी का वाद खारिज किया जावे।

अधिनस्थ न्यायालय द्वारा प्लीडिंग्स के आधार पर कुल 6 तनकियां कायम की गयी तथा तनकीवार विवेचन करते हुए दिनांक 14–11–2006 को वादी का वाद स्वीकार करते हुए डिक्री जारी की गयी।

उक्त निर्णय व डिक्री दिनांक 14–11–2006 से रूष्ट होकर अपीलान्ट प्रतिवादीगण द्वारा माननीय राजस्व मण्डल, अजमेर द्वारा दिये गये निर्देशों की पालना में वाद एवं काउण्टर क्लेम में पारित एक ही निर्णय व डिक्री के विरूद्ध अलग–अलग अपील संख्या 84/2023 तथा 85/2023 इस न्यायालय में दिनांक 02–11–2023 को प्रस्तुत की गई गयी है।

दोनों अपीलें दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पोन्डेन्टगण को नोटिस जारी किये जाने पर उनकी ओर से अधिवक्ता श्री सुखदेव बारबर उपस्थित हुए। अधिनस्थ न्यायालय का रिकार्ड तलब किया जाकर अभिभाषक उभयपक्ष की बहस सुनी गई।

दोनों ही अपीलें अधिनस्थ न्यायालय के एक ही प्रकरण संख्या 41/2003 में पारित निर्णय व डिक्री दिनांक 14–11–2006 के विरूद्ध होने तथा पक्षकारान एवं विवादित आराजियात एक ही होने से दोनों अपीलों का

Signature Not Verified
Digitally signed by Pradeep Singh Sangawat
Date: 2024.10.30 12:48:11 IST
Reason: SelfAttested

एक ही निर्णय लिखाया जा रहा है। निर्णय की एक–एक प्रति संबंधित पत्रावली पर रखी जावे।

विद्वान अभिभाषक अपीलान्ट ने दोनों अपीलों के साथ धारा 5 मियाद अधिनियम का प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया कि आप न्यायालय में पारित निर्णय व डिक्री दिनांक 12–03–2008 के विरूद्ध अपीलान्टगण ने माननीय राजस्व मण्डल में अपील प्रस्तुत की, जिस पर माननीय राजस्व मण्डल ने दावे व प्रतिदावे के विरूद्ध दो अलग–अलग अपीलें प्रस्तुत नहीं होने की विधिक स्थिति के आधार पर अपील स्वीकार करते हुए प्रकरण आप न्यायालय को रिमाण्ड किया था। अपीलान्ट इस विश्वास में थे कि माननीय राजस्व मण्डल के उक्त आदेश के अनुसरण में आप न्यायालय द्वारा अपीलान्ट को सूचना पत्र जारी होंगे, लेकिन आप न्यायालय द्वारा इस बाबत् कोई सूचना पत्र जारी नहीं होने पर अपीलें प्रस्तुत करने में विलम्ब हुआ है। अतः अपीलें प्रस्तुत करने में हुई देरी को क्षमा करते हुए दोनों अपीलें अन्दर मियाद शुमार की जावे। ताईद में शपथ पत्र प्रस्तुत किये।

हमने उक्त प्रार्थना पत्रों पर मनन किया एवं पत्रावली का अवलोकन किया। प्रकरण के गुणावगुण के दृष्टिगत न्यायहित में मयाद कण्डोन की जाकर दोनों अपीलें श्रवणार्थ ग्रहण की जाती है।

विद्वान अभिभाषक अपीलान्ट ने अपील मीमों में वर्णित तथ्यों को पुनः वक्त बहस दोहराते हुए बताया कि स्वयं रेस्पोन्डेन्ट/वादी के वाद से ही स्पष्ट हो जाता है कि विवादित भूमि पर वादी का कब्जा नहीं होकर कब्जा प्रतिवादी/अपीलान्टगण का चला आ रहा है। अपीलान्टगण के पूर्वाधिकारी बतौर आसामी काश्त करते थे, जो प्रदर्श 5 व 6 से स्पष्ट है। अधिनस्थ न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत लिखा–पढ़ी दिनांक 23–08–1960 पर अधिनस्थ न्यायालय ने कोई गौर नहीं किया है। इसी प्रकार मेवाड बन्दोबस्त की जमाबन्दी संवत् 1999 से 2037 तक अपीलान्टगण के शान्ति पूर्वक कब्जे से वादी से एतराज नहीं किया है, लेकिन अधिनस्थ न्यायालय ने इस ओर कोई ध्यान नहीं दिया तथा तनकियों का सही विवेचन नहीं किया है। अतः अपील अपीलान्ट स्वीकार की जाकर अधिनस्थ न्यायालय का निर्णय एवं प्रारम्भिक डिक्री व डिक्री निरस्त की जावे तथा अपीलान्ट/प्रतिवादीगण का काउण्टर

Signature Not Verified

Digitally signed by Pradeep Singh Sangawat
Date: 2024.10.30 12:48:11 IST
Reason: SelfAttested

क्लेम स्वीकार फरमाया जाकर काउण्टर क्लेम में चाही गयी दाद अपीलान्टगण को दिलायी जावे।

रेस्पोन्डेन्ट के विद्वान अभिभाषक ने उक्त बहस का जवाब देते हुए कि अधिनस्थ न्यायालय ने रेकार्ड पर उपलब्ध साक्ष्यों के आधार पर तनकीवार विवेचन करते हुए निर्णय पारित किया है, जो विधि सम्मत हैं। अतः दोनों अपीलें खारिज की जावें। अपने कथन के समर्थन में न्यायिक नजीरें RRT 2012 (1) Page 410, RRD 2010 Page 271, RRT 2007 (2) Page 1031, RRD 2006 Page 394, RRT 2012 (2) Page 1079, RRT 2011 (1) Page 455, RRT 2011 Page 267 प्रस्तुत की।

हमने उभयपक्ष की बहस पर मनन किया तथा पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजों का अध्ययन किया। प्रदर्श 3 अनुसार श्री जैन श्वेताम्बर महासभा, उदयपुर रजिस्टर्ड संस्था होकर उनके द्वारा जरिये वाद मित्र वाद प्रस्तुत किया गया है एवं इसी आधार पर अधिनस्थ न्यायालय ने तनकी नंबर 1 का विवेचन वादी/रेस्पोन्डेन्ट के पक्ष में किया है। जहां तक तनकी नंबर 2 का प्रश्न है, इस तनकी पर अधिनस्थ न्यायालय ने अपने विस्तृत विवेचन में यह माना है कि विवादित आराजियात वादी के खातेदारी में दर्ज है तथा प्रतिवादीगण द्वारा दिनांक 23–08–1960 की जो लिखा–पढ़ी प्रस्तुत की गयी है वह अनरजिस्टर्ड होने से साक्ष्य में ग्राह्य नहीं है एवं तत्कालीन विक्रेतागण को वादी मंदिर मूर्ति की खातेदारी जमीन को विक्रय करने का अधिकार नहीं था। उक्त आधार पर तनकी नंबर 2 का विवेचन करते हुए यह तनकी भी वादी/रेस्पोन्डेन्ट के पक्ष में निर्णित की है।

इसी तरह तनकी नंबर 3 जिससे साबिक कराने का भार प्रतिवादीगण पर था, इस तनकी के विवेचन में यह माना है कि वादी मंदिर मूर्ति शाश्वत नाबालिग है एवं नाबालिग की भूमि पर किसी व्यक्ति द्वारा की गयी काश्त वादी द्वारा की गयी काश्त मानी जायेगी। इस आधार पर तनकी नंबर 3 का निर्णय प्रतिवादी के विरूद्ध किया है। जहां तक तनकी नंबर 4 का प्रश्न है, तनकी नंबर 2 के विवेचन के आधार पर दिनांक 23–08–1960 की लिखा–पढ़ी को अनरजिस्टर्ड होने एवं मंदिर की भूमि पर किसी अन्य को खातेदारी अधिकार प्राप्त नहीं हो सकने के आधार पर यह तनकी भी विरूद्ध प्रतिवादी/अपीलान्टगण के विरूद्ध निर्णित की है तथा इसी प्रकार तनकी

Signature Not Verified
Digitally signed by Pradeep Singh Sangawat
Date: 2024.10.30 12:48:11 IST
Reason: SelfAttested

नंबर 5 का भी विश्लेषण करते हुए यह तनकी भी विरूद्ध प्रतिवादीगण निर्णित की है।

उपरोक्त विवेचन से स्पष्ट है अधिनस्थ न्यायालय ने तनकी नंबर 1 व 2 जिन्हें साबित करने का भार रेस्पोन्डेन्ट/वादी पर था वादी के पक्ष में तथा तनकी नंबर 3, 4, 5 जिन्हें साबिक करने का भार प्रतिवादी/अपीलान्टगण के विरूद्ध निर्णित करते हुए रेस्पोन्डेन्ट/वादी का वाद स्वीकार करते हुए प्रतिवादी/अपीलान्टगण का कब्जा हटाकर वादी को दिलाये जाने का आदेश पारित किया है, जो पत्रावली पर उपलब्ध रेकार्ड एवं अभिभाषक रेस्पोन्डेन्ट द्वारा प्रस्तुत न्यायिक नजीरों की रोशनी में विधि सम्मत होने से हम उसमें किसी प्रकार का हस्तक्षेप करना उचित नहीं समझते हैं।

अतः उक्त दोनों अपीलें सारहीन होने से खारिज की जाकर अधिनस्थ न्यायालय का निर्णय एवं डिक्री दिनांक 14–11–2006 यथावती रखी जाती है। तद्नुसार डिक्री पर्चा जारी हो। पक्षकारान अधिनस्थ न्यायालय में दिनांक 06–08–2024 को उपस्थित रहें। निर्णय आज दिनांक 20–06–2024 को खुले न्यायालय में सुनाया गया। पत्रावली फैसल शुमार हो नम्बर से कम की जावे।

(प्रदीपसिंह सांगावत)
भू–प्रबन्ध अधिकारी
एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी
उदयपुर

Signature Not Verified

Digitally signed by Pradeep Singh Sangawat
Date: 2024.10.30 12:48:11 IST
Reason: SelfAttested

डिगरी व सीगे अपील

(ओ.41, रूल 35, जाब्ता दीवानी)

(Civil Procedure Code Appendix 'G'-9)

अज अदालत.......**भू॰प्र॰अ॰ एवं पदेन रा॰अ॰अ॰**.........मुकाम........**उदयपुर**............
व इजलास ....**प्रदीपसिंह सांगावत, आर॰ए॰एस॰** ....

नारायणलाल उर्फ विधु पुत्रलच्छीराम सुथार, निवासी कोल्यारी, तहसील झाडोल, जिला उदयपुर व अन्य

बनाम

श्री पार्श्वनाथजी श्वेताम्बर स्थान कोल्यारी जरिये वादमित्र राजेन्द्रसिंह पुत्र तेजसिंह कोठारी, निवासी उदयपुर मंत्री श्री जैन श्वेताम्बर महासभा, जैन धर्मशाला, हाथीपोल, उदयपुर

अपील नं॰......**84 / 2023**...........व नाराजगी डिगरी अदालत .....**उपखण्ड अधिकारी**......
.....**झाडोल**........... मुकाम................मुवर्खे.............**14**..............माह..............**11**............**2006**

दावा बाबत

यह अपील व तारीख.........**24**....माह........**07**....सन् **2024** रूबरू.......**पक्षकारान**
व हाजरी.....**श्री कमलेश चौहान**.....मिनजानिब अपीलान्ट व....... **श्री सुखदेव बारबर** ......

............रेस्पोन्डेन्ट समाअत के लिए पेश होकर हुक्म हुआ कि.... **अपील अपीलान्ट सारहीन होने से खारिज की जाकर अधिनस्थ न्यायालय का निर्णय एवं डिक्री दिनांक 14–11–2006 यथावती रखी जाती है।**

(खर्चा अपील हाजा का हस्ब तफसील जेल तादादी मुवलिग.....**X**.......)........रूपये .... **X**......
अदा करें, खर्चा मुकदमा मातहत का.......................... **X** ....अदा करें।

मेरे हस्ताक्षर व मुहर अदालत आज तारीख.......**24**.......माह.......**07**..........**2024**
को जारी किया गया।

(प्रदीपसिंह सांगावत)
भू–प्रबन्ध अधिकारी
एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी
उदयपुर

खर्चा अपील

अपीलान्ट	रू0	पै0	रेस्पोन्डेन्ट	रू0	पै0
1. स्टाम्प अपील			1. स्टाम्प वकालत नामा...		
2. स्टाम्प वकालत नामा			2. स्टाम्प अर्जी		
3. इजराय हुक्मनामा			3. इजराय हुक्मनामा		
4. वकील फीस बाबत			4. मेहनताना वकील...........		
मीजान			मीजान		

नोटः– इस खर्चे के फार्म पर फरीकेन का कुल खर्चा अपील का, चाहे डिगरी के जरिये दिलाया गया हो।

Signature Not Verified

Digitally signed by Pradeep Singh Sangawat
Date: 2024.10.30 12:48:11 IST
Reason: SelfAttested

डिगरी व सीगे अपील

(ओ.41, रूल 35, जाब्ता दीवानी)

(Civil Procedure Code Appendix 'G'-9)

अज अदालत.......**भू.प्र.अ. एवं पदेन रा.अ.अ.**.........मुकाम........**उदयपुर**............
व इजलास ....**प्रदीपसिंह सांगावत, आर.ए.एस.** ....

नारायणलाल उर्फ विधु पुत्रलच्छीराम सुथार, निवासी कोल्यारी, तहसील झाडोल, जिला उदयपुर व अन्य

बनाम

श्री पार्श्वनाथजी श्वेताम्बर स्थान कोल्यारी जरिये वादमित्र राजेन्द्रसिंह पुत्र तेजसिंह कोठारी, निवासी उदयपुर मंत्री श्री जैन श्वेताम्बर महासभा, जैन धर्मशाला, हाथीपोल, उदयपुर

अपील नं......**85/2023**...........व नाराजगी डिगरी अदालत .....**उपखण्ड अधिकारी**......
.....**झाडोल**........... मुकाम................मुवर्खे.............**14**..............माह..............**11**............**2006**

दावा बाबत

यह अपील व तारीख.........**24**....माह........**07**....सन् **2024** रूबरू.......**पक्षकारान**
व हाजरी.....**श्री कमलेश चौहान**.....मिनजानिब अपीलान्ट व....... **श्री सुखदेव बारबर** ......

............रेस्पोन्डेन्ट समाअत के लिए पेश होकर हुक्म हुआ कि.... **अपील अपीलान्ट सारहीन होने से खारिज की जाकर अधिनस्थ न्यायालय का निर्णय एवं डिक्री दिनांक 14–11–2006 यथावती रखी जाती है।**

(खर्चा अपील हाजा का हस्ब तफसील जेल तादादी मुवलिग.....**X**.......)........रूपये .... **X**......
अदा करें, खर्चा मुकदमा मातहत का......................... **X** ....अदा करें।

मेरे हस्ताक्षर व मुहर अदालत आज तारीख.......**24**.......माह.......**07**..........**2024**
को जारी किया गया।

(प्रदीपसिंह सांगावत)
भू–प्रबन्ध अधिकारी
एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी
उदयपुर

खर्चा अपील

अपीलान्ट	रू0	पै0	रेस्पोन्डेन्ट	रू0	पै0
1. स्टाम्प अपील			1. स्टाम्प वकालत नामा...		
2. स्टाम्प वकालत नामा			2. स्टाम्प अर्जी		
3. इजराय हुक्मनामा			3. इजराय हुक्मनामा		
4. वकील फीस बाबत			4. मेहनताना वकील..........		
मीजान			मीजान		

नोटः– इस खर्चे के फार्म पर अपीलेन्ट का कुल खर्चा अपील का, चाहे डिगरी के जरिये दिलाया गया हो।

Signature Not Verified

Digitally signed by Pradeep Singh Sangawat
Date: 2024.10.30 12:48:11 IST
Reason: SelfAttested